कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, हरिद्वार।

पत्रांकः 15 /जि0पू0अ0(को0खा0आ0) 2020–21, दिनांक 06 अप्रैल 2020।

अल्पकालिक निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कोराना वायरस (COVID-19) की रोकथाम हेतु दिनांक 14–04–2020 तक जनपद मे लॉकडाउन घोषित किया गया है। उक्त अवधि में जनपद हरिद्वार के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों हेतु मूलभूत खाद्यान्न सामग्री किट तैयार किये जाने हेतु निम्नानुसार खाद्य सामग्री तथा पैकेजिंग सामग्री उपलब्ध करायी जानी है, निविदा बन्द लिफाफे में जिला पूर्ति कार्यालय, तहसील परिसर, हरिद्वार में दिनांक 09–04–2020 के अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 09–04–2020 को अपरान्ह 2:30 बजे खोली जायेंगी।

खाद्य सामग्री	मात्रा	
1– आटा (चक्की का)	प्रति किलोग्राम......................	05 किलोग्राम का पैक में....................
2–चावल	प्रति किलोग्राम......................	03 किलोग्राम का पैक में....................
3–तेलसरसों	....	01 लीटर के पैक में............................
4–तेल रिफाईन्ड	....	01 लीटर के पैक में............................
5–दाल अरहर	प्रति किलोग्राम......................	01 किलोग्राम के पैक में......................
6–दाल मसूर	प्रति किलोग्राम......................	01 किलोग्राम के पैक में......................
7–मिर्च पिसी	पैक्ड.................	100 ग्राम के पैक में......................
8–सब्जी मसाला	पैक्ड.................	100 ग्राम के पैक में......................
9–नमक	पैक्ड.................	01 किलोग्राम के पैक में......................
10–चायपत्ती	पैक्ड.................	100 ग्राम के पैक में......................
11–चीनी	प्रति किलोग्राम......................	01 किलोग्राम के पैक में......................
12–मिल्क पाउडर	....	100 ग्राम के पैक में..............
	....	200 ग्राम के पैक में..............
	....	500 ग्राम के पैक में..............

शर्तेः–

1–रू0 50,000.00 (पचास हजार) की धरोहर राशि जिलाधिकारी, हरिद्वार के पक्ष में डी0डी0/सावधि जमा रसीद/बैंकर्सचैक/बैंक गारण्टी निविदा के साथ जमा करनी होगी। निविदा में फर्म का नाम, दूरभाष/फैक्स/ईमेल/पैन नम्बर/जी0एस0टी0 नम्बर का उल्लेख होना चाहिये, जिसकी छाया प्रति प्रस्तुत की जाए।

2–तकनीकी एवं वित्तीय निविदा बन्द लिफाफे में देनी होगी।

3–संस्था/आवेदक के पास पैन तथा जी0एस0टी0 होना अनिवार्य होगा।

4–समस्त सामग्री समयबद्ध रूप से दी जायेगी।

5–समस्त सामग्री गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। निविदा के समय उपरोक्त सामग्री के सैम्पल प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य होंगे।

6– इस निविदा को किसी समय निरस्त करने का अधिकार गठित क्रय समिति के अध्यक्ष को होगा।

6/4/2020

अपर मेलाधिकारी/नोडल अधिकारी,
आपूर्ति(कोविड–19), हरिद्वार।

प्रेषक,

जिला पूर्ति अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

जिला सूचना अधिकारी,
हरिद्वार।

पत्रांकः 16 /जि0पू0अ0 (को0खा0आ0प्र0) 2020–21, दिनांक 06 अप्रैल 2020।

महोदय,

अवगत कराना है कि कोराना वायरस (COVID-19) की रोकथाम हेतु जनपद में घोषित लॉकडाउन अवधि में जनपद हरिद्वार के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों हेतु मूलभूत खाद्यान्न सामग्री किट तैयार किये जाने हेतु स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गयी हैं। जिसकी एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि 02 दैनिक समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन दिनांक 07–04–2020 के अंक में अवश्य ही प्रकाशित कराते हुए बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
06/4/2020
जिला पूर्ति अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः–

1– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, हरिद्वार को इस आशय से कि संलग्न अल्पकालिक निविदा को एन0आई0सी0 के वेबसाइट पर आज ही अपलोड कराने का कष्ट करें।

2– समस्त सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, जनपद हरिद्वार को इस आशय से कि उक्त अल्पकालिक निविदा का व्यापक प्रचार प्रसार करायें।

3– अभिहित अधिकारी(खाद्य संरक्षा) एवं औषधि प्रशासन, हरिद्वार।

4–उप जिलाधिकारी, हरिद्वार/रूड़की/लक्सर/भगवानपुर को अल्पकालिक निविदा की प्रति संलग्न करते हुए इस आशय से कि इसका व्यापक प्रचार–प्रसार नोटिस बोर्ड पे चस्पा कराने का कष्ट करें।

5– अपर मेलाधिकारी/नोडल अधिकारी,आपूर्ति(कोविड–19), हरिद्वार।

6– जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार को अवलोकनार्थ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

जिला पूर्ति अधिकारी,
हरिद्वार।